Journal of Socio-Educational & Cultural Research, Vol. 2, No. 5, July-December, 2016 ISSN : 2394-2878

मानवाधिकारवादी शिक्षा की संकल्पना

डॉ0 शिवम श्रीवास्तव*
डॉ0 नित्या श्रीवास्तव**

सार संक्षेप

मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ मिलने वाला प्रत्येक अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है संविधान में बनाए गए अधिकारों से बढ़कर महत्व मानवाधिकारों का माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि ये ऐसे अधिकार हैं जो सीधे प्रकृति से सम्बन्ध रखते है जैसे– जीने का अधिकार केवल कानून सम्मत अधिकार नहीं है बल्कि इसे प्रकृति से प्रदान किया गया है।

शिक्षा के मौजूदा ढांचों के आधार पर बात करते हुए एक पहलू है सरकारी नीति का, दूसरा पहलू है शिक्षक की अवधारणा का और तीसरा पहलू है छात्र के स्वरूप का। भारत में लोकतंत्र और लोकतंत्र के बहुमुखी विकास में मदद करना हमारी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी लक्ष्य होना चाहिए इसके लिए जरूरी है कि हम लोकतंत्र की समझ बेहतर और गम्भीर बनाए लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल स्तर पर शिक्षा का समूचा तंत्र लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जनाशिरकत वाला बनाया जाए। मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वस्तरीय जागरूकता ने निश्चित रूप से पूरे विश्व में शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है।''

मानव अधिकारों के प्रति सजगता सभी देशों और सभी देशों के लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस सक्रियता को लगातार दृष्टि में रखते हुए कार्य करें अध्यापन और शिक्षण द्वारा भी यह प्रयत्न किया जा सकता है कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। क्योंकि ''शिक्षा प्रगतिशील राष्ट्र की आधाशिला है, राष्ट्र की भौतिक प्रगति से कहीं अधिक आवश्यक है ऐसे मानव का निर्माण करना जो अपनी तुच्छ व दुर्बलताओं से आगे उठने की भावना से सम्पन्न हो ओर धन लोलुपता एवं स्वार्थपरता की भावना से मुक्त हो, जो समाज व राष्ट्र कल्याण तथा विश्वबंधुत्व की भावना से भी युक्त हो।''

मानवाधिकार दो शब्दों– **मानव और अधिकार** से मिलकर बना है। अधिकार शब्द निषेधात्मक है। मानव अधिकार मानव की मान–मर्यादा सम्बन्धी प्रयत्नों तथा भविष्य में समाज में मानवाधिकारों की संस्कृति निर्मित करने से सम्बन्धित है, ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, कयोंकि ये उनकी स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को रूपांकित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार वे अधिकार जो उनके भौतिक, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए सहायक होता है मानवाधिकार कहलाता है।

मानव अधिकार से अभिप्राय ''भौतिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है''

मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ मिलने वाला प्रत्येक अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है संविधान में बनाए गए अधिकारों से बढ़कर महत्व मानवाधिकारों का माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि ये ऐसे अधिकार हैं जो सीधे प्रकृति से सम्बन्ध रखते है जैसे– जीने का अधिकार केवल कानून सम्मत अधिकार नहीं है बल्कि इसे प्रकृति से प्रदान किया गया है।

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, परास्नातक शिक्षाशास्त्र विभाग, किसान पी.जी. कालेज बहराइच
** प्राचार्य, संजीवनी कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड फिजिकल एजुकेशन बहराइच

''मूलाधिकार वे आधारमूल अधिकार हैं जो नागरिकों के बौद्धिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक ही नहीं वरन अपरिहार्य है। इसके अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास सम्भव नहीं है।''(1)

''व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। जिनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार को भी प्राप्त नहीं होता है।''

वस्तुतः ''अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह उचित दावा है जो कुछ कार्यों में करने के लिए आवश्यक है।''(2)

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान हर नागरिक को कुछ मूल अधिकार देता है जो उसे सरकार के मनमाने और अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ संरक्षण देते हैं और उसके लिए गरिमापूर्ण जीवन की परिस्थितियां बनाते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो इस प्रकार है।

1. समता या समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता के विरूद्ध अधिकार
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्नलिखित कारणों से मूल अधिकार कहा जा सकता है–

1. व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ये अधिकार आवश्यक इनके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता।
2. मूल अधिकारों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है। व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
3. इन्हे देश की मूल विधि अर्थात् संविधान में स्थान दिया जाता है तथा साधारणथा संवैधानिक संसोधन प्रकिया के अतिरिक्त इनमें और किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है

'' मूल अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य द्वारा पारित विधियों से उपर है''

प्रकृति के अलावा मनुष्यों द्वारा बनाये गये विधि सम्मत कानून का भी यह कर्तव्य है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करें। भारत के विशाल आकार और विविधता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतन्त्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप इसकी स्थिति जटिल हो गयी है। अगर भारत में मानवाधिकारों की बात की जाये तो यह प्रायः प्रतीत होता है कि यहां आज एक खास तबके के लोगों को ही हैसियत के अनुसार मानवाधिकार मिल पाते हैं। मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जो सभी सामाजिक विषयों से सबसे गम्भीर है। जिस पर हम एक पक्षीय विचार नही कर सकते हैं किन्तु अपने राजनैतिक या स्वार्थपरक अथवा अन्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मानवाधिकारों का सहारा लेना बिल्कुल गलत है इसके लिए भारतीय संविधान में नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य निश्चित का उपयोग सहीं कार्यों एवं सहीं दिशा में करें।

भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार हैः–

सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42 वें संसोधन (1976 ई०) के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोडा गया इसे रूस के संविधान से लिया गया है।

इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है जो इस प्रकार है–

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालर करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्य रखे।
4. देश की रक्षा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
11. माता–पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

वास्तव में मानव समाज में मौजूद समस्याओं का निराकरण करना ही मानवाधिकार की संकल्पना का लक्ष्य है सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकारों का महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह कथन किया गया था कि लोग यह विश्वास करते हैं कि मानव गरिमा और स्त्री–पुरूष के समान अधिकार आदि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी होने नही जा सकते। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की।

''राष्ट्र अथवा समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन ''मानव'' है। कोई भी राष्ट्र उस समय ही उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है, जबकि उसके अन्दर प्रत्यके मानव को यह सुविधा प्राप्त हो कि वह स्वतंत्रतापूर्वक अपना विकास कर सके जितना कि उसमें विकास करने की क्षमता है।(3)

मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का तात्पर्य है ''सबके लिए शिक्षा'' भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। इस संबंध में ''प्रारम्भिक शिक्षा (प्राथमिक व मध्य स्तर) शिक्षा की निःशुल्क एवं समान व्यवस्था भी की गयी है। जिससे विकासशील देशों में स्कूली शिक्षा की सुगमता बेहतर हुई है और लैंगिक अन्तर में भी कमी आई है। एक अग्रणी अभिकरण के रूप में यूनेस्कों सभी अन्तर्राष्ट्रीय पहल को सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को पाने की ओर प्रवृत्त एवं एकजुट कर रही है। सरकारें, विकास अभिकरण, नागरिक संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं (एकलव्य) एवं बहुत से अभियान जिसमें सर्व शिक्षा अभियान लोक जुम्बिस परियोजना, बालवाडी आंगनबाड़ी आदि सहयोगी संस्थाएं एवं मीडिया के कुछ सहयोगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों जहां साक्षरता का स्तर कम वहां मानवाधिकारों का हनन आम बात है इन राज्यों में पिछडे और अशिक्षित क्षेत्रों में प्रायः गरीब लोगों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा अमानवीय तरीके से कानूनी कार्यवाही करने अथवा अन्य तरीके से शोषण किए जाने की घटनाएं चर्चा में बनी रहती हैं लेकिन इसके विपरीत जिन शहरों में लोग साक्षर हैं वहां इसका उपयोग भी होता है और उन्हें लाभ भी प्राप्त होता है।

यूं तो मानवाधिकार सबके लिए समान हैं किंतु इसका वास्तविक लाभ उसे ही मिल पाता है जिसके पास पर्याप्त जानकारी, सामर्थ्य एवं संसाधन उपलब्ध है। हमारे समाज में मानवाधिकारों के प्रति संचेतना मुख्य रूप से आम लोगों में कम दिखाई देती है इसका कारण शिक्षा का अभाव होना शिक्षा के अभाव के कारण व्यक्ति अपने अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों को न तो जान पाता है और न उसका पूर्ण लाभ उठा पाता है।

इसका प्रत्यक्ष उदाहरणः– हमारे देश में आए दिन घटित होने वाली महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण और प्रताडना की घटनाएं प्रतिदिन होने वाले हजारों भ्रूण हत्या घरेलू हिंसा शारीरिक मानसिक प्रताडना आदि अत्याचारों से पीडित महिलाओं के विषय में मानवाधिकारों की आवश्यकताओं को रेखाकिंत करते ही हमारे समाज प्रायः मौन हो जाता है। इसका भी कारण शिक्षा का अभाव होना है। महिलाओं का जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है उनके अंदर का डर दूर करना होगा। पूर्व एथलीट कृष्णा पुनिया कहती है– ''लड़कियों को जागरूक पडेगा हिम्मत दिखानी होगी अगर औरते एकजुट हो जाए तो किसी की हिम्मत नही होगी कि वह बेटियों को परेशान कर सके।''

इसका प्रत्यक्ष उदाहरणः–

हमारे देश में आए दिन घटित होने वाली महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण और प्रताड़ना की घटनाएं प्रतिदिन होने वाले हजारों भ्रण हत्या, घरेलू हिंसा शारीरिक मानसिक प्रताड़ना आदि अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं के विषय में हमारा समाज प्रायः मौन हो जाता है। इसका भी कारण शिक्षा का आभाव होना है। महिलाओं को जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है उनके अंदर का डर दूर करना होगा। पूर्व एथलीट कृषण दुनिया कहती है– ''लड़कियों को जागरूक होना पड़ेगा हिम्मत दिखानी होगी अगर औरतें एकजुट हो जायें तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह बेटियों को परेशान कर सके। (4)

ऐसे ही सैकड़ों वर्षों से वनों अथवा उनके आस पास के क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी और वनवासी समाज के परम्परागत अधिकारों और मानव अधिकारों की समुचित रूप से पहचान तक नहीं की जा सकी है तथा उन्हे आज तक चकबंदी, सीलिंग, पर्दे भू अभिलेख या भूमि आवंटन का पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका है।

अतः अपर्युक्त कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानवाधिकार एवं शिक्षा एक दूसरे से सम्बन्धित होने के साथ–साथ एक दूसरे के ''पूरक तत्व'' भी है। क्योंकि मानवाधिकार के अभाव में हम शिक्षा सामान्य रूप से नहीं प्राप्त कर सकते और शिक्षा के अभाव के कारण हमें मानव अधिकार और मूल कर्तव्यों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो सकता इस प्रकार मानव अधिकार और शिक्षा एक दूसरे के पूरक तत्व भी हैं।

यद्यपि किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार के विरूद्ध हिंसक विद्रोह से मानव समाज को बचाने के लिए कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकार की रक्षा करना श्रेष्ठ उपाय सिद्ध हो सकता है किन्तु मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की आवश्यकता है जिससे मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा–पत्र सिर्फ दस्तावेज की सार्थकता निहित है यद्यपि हमारे देश की सरकार मानवाधिकारों के प्रति सजग है किन्तु इस सजगता में और अधिक धार लाने की आवश्यकता है।

मानवाधिकार शिक्षा की आवश्यकता और मनुष्य का मानव समाज को अधिकारों की सीमारेखा का ज्ञान कराने की दृष्टि से भी है इसे ऐसे समझा जा सकता है– कि क्या किसी ऐसे हत्यारें या आतंकवादी का मानवाधिकार हो सकता है जो हजारों मासूमों की जिन्दगी तबाह करने का दोषी हो और अगर ऐसे आतंकवादी का मानवाधिकार है तो क्या उन लोगों के मानव अधिकारों का कोई अस्तित्व है जो इन असामाजिक तत्वों का शिकार बनते हैं आज पूरे विश्व में ताकत और पैसे के बल पर होने वाली हिंसा इस बात का प्रत्यक्ष सबूत है कि यदि मानव पर कोई सामाजिक और विधिक नियंत्रण न हो तो

वह खुद की श्रेष्ठता साबित करने के लिए मरने मारने को तैयार नजर आएगा क्यों कि जब व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं और कर्तव्यों का ज्ञान होगा तभी उनका वह वह अपने हित में उपयोग कर सकेगा और दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगा वास्तव में आज दुनिया में सम्पन्न और शक्तिशाली लोगों के बीच यदि आम जनता सुरक्षित ढंग से रह पा रही है तो उसका एकमात्र कारण सबको मिने वाला तथाकथित मानवाधिकार है

ऐसे में मानवाधिकार शिक्षा आवश्यक है क्योंकिः–

1. प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
2. प्रत्येक व्यक्ति के विकास और उन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराया जा सके।
3. मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार शिक्षा का उपयोग किया जा सके।
4. प्रत्येक मानव में अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके।
5. व्यक्ति के दुष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए मानवाधिकार शिक्षा को औजार के रूप में उपयोग किया जा सके।
6. मानव व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास और गौरव को बढ़ाया जा सके।
7. मानवाधिकार की कार्य–संस्कृति विकसित की जा सके।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार और उसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनकर सार्वभौमिक सत्यता का सूत्रपात कर रहा है। किन्तु हमारे भारतीय समाज की लगभग आधी आबादी गरीबी और निरक्षरता के अंधकार में डूबी है अर्थात मानव गरिमापूर्ण जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहा है लोगों को मानव अधिकार के प्रति सचेत तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि ''मानव अधिकार शिक्षा को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

शिक्षा के द्वारा मानवाधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निम्न उपाय अपनाएं जा सकते हैं–

1. सीखने सिखाने की प्रकिया में परिवर्तन कर विद्यालय में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना।
2. असमानताओं को दूर करने पर अधिक जोर, सभी के लिए न्यायोचित शिक्षा, बच्चें पर केन्द्रित, जरूरत पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करना।
3. सीखने की प्रकिया में हर बच्चे की प्रतिभागिता को अधिकाधिक करना।
4. सामाजिक रूप से न्यायोचित पढ़ाने। सीखने की प्रकिया प्रदान करना।
5. समानता को प्रोत्साहित करने के लिए सभी को न केवल सुलभता में बल्कि सफलता की अवस्थाओं में भी समान अवसर प्रदान करना।
6. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या में परिवर्तन करके भी अन्तर्निहित समानता एवं जागरूकता को प्रेरित किया जाए।
7. ऐसी शिक्षण विधियों का उपयोग करना जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच सहयोग की भावना का निर्माण हो सके।
8. छात्रों को उनकी इन निजी परिस्थितियों की चर्चा करने में समर्थ करने वाली प्रणालियों का विकास करना जिनका उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
9. समय–समय पर बैठकों की योजनाएं बनाना।
10. विद्यालय द्वारा पर्यावरण एवं प्रणालियों में परिवर्तन करके उन्हे इस प्रकार सुनिश्चित करना कि छात्रों को सुरक्षित और सार्थित महसूस करने में सहायता मिल सके।

शिक्षा के मौजूदा ढांचों के आधार पर बात करते हुए एक पहलू है सरकारी नीति का, दूसरा पहलू है शिक्षक की अवधारणा का और तीसरा पहलू है छात्र के स्वरूप का। भारत में लोकतंत्र और

लोकतंत्र के बहुमुखी विकास में मदद करना हमारी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी लक्ष्य होना चाहिए इसके लिए जरूरी है कि हम लोकतंत्र की समझ बेहतर और गम्भीर बनाए लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल स्तर पर शिक्षा का समूचा तंत्र लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जनाशिरकत वाला बनाया जाए। मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वस्तरीय जागरूकता ने निश्चित रूप से पूरे विश्व में शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है।''(5)

मानव अधिकारों के प्रति सजगता सभी देशों और सभी देशों के लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस सक्रियता को लगातार दृष्टि में रखते हुए कार्य करें अध्यापन और शिक्षण द्वारा भी यह प्रयत्न किया जा सकता है कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। क्योंकि ''शिक्षा प्रगतिशील राष्ट्र की आधाशिला है, राष्ट्र की भौतिक प्रगति से कहीं अधिक आवश्यक है ऐसे मानव का निर्माण करना जो अपनी तुच्छ व दुर्बलताओं से आगे उठने की भावना से सम्पन्न हो ओर धन लोलुपता एवं स्वार्थपरता की भावना से मुक्त हो, जो समाज व राष्ट्र कल्याण तथा विश्वबंधुत्व की भावना से भी युक्त हो।''(6)

संदर्भः–

1. पाण्डेय, जयनारायण – भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद–2, 1980 पृष्ठ– 60,61।
2. श्रीवास्तव, नित्या एवं वर्मा, अंकुर समसामयिक भारत एवं शिक्षा, चिन्ताएं एवं मुद्दे – राखी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड– आगरा– 2016 पृष्ठ– 333।
3. श्रीवास्तव, शिवम् – उत्कृष्ट समाज के निर्माण में शिक्षक की प्रासंगिकता– The opinion .– शोध पत्रिका – जुलाई– दिसम्बर– 2013 पृष्ठ– 71।
4. पुनिया, कृष्णा– ''आखिर क्यों डर जाती हैं महिलाए''– दैनिक हिन्दुस्तान– लखनऊ संस्करण दिनांक 08 जनवरी 2017 पृष्ठ– 12।
5. श्रीवास्तव, कांतिमोहन एवं श्रीवास्तव विवेक कुमार– शांति शिक्षा एवं सतत विकास– साहित्य प्रकाशन– आगरा– 2016 पृष्ठ 146।
6. श्रीवास्तव, शिवम्– उत्कृष्ठ समाज के निर्माण में शिक्षक की प्रासंगिकता– The opinion शोध पत्रिका– जुलाई– दिसम्बर– 2013 पृष्ठ 69,70।